



-:आवश्यक सूचना:-

(विज्ञापन संख्या-06/2020)

विज्ञापन संख्या-06/2020 के तहत **Block Health Manager (BHM)**, **Block Accountant** एवं **Block Community Mobilizer (BCM)** के पदों पर चयन हेतु दिनांक 01, 02 एवं 03 दिसम्बर, 2020 को अभ्यर्थियों का ऑनलाईन Computer Based Test (CBT) लिया गया है। उक्त CBT में प्राप्त अंक तथा शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के आधार पर Qualified अभ्यर्थियों का Merit के आधार पर रिक्ति के अनुसार 1:2.5 के अनुपात में Shortlist अभ्यर्थियों का Document Verification/Counselling दिनांक 13, 14 एवं 15 जुलाई, 2021 को कराया गया। परन्तु Document Verification में उक्त पदों में कोटिवार रिक्ति के अनुसार पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं पाये गये हैं।

2. उक्त के आलोक में CBT में सफल एवं उपलब्ध अभ्यर्थियों में 1:2.5 के अनुपात में Document Verification/Counselling कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः सफल एवं Shortlisted अभ्यर्थियों की सूची समिति के वेबसाइट-statehealthsocietybihar.org पर अपलोड/प्रकाशित कर दिया गया है (प्रकाशित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेधाक्रम के अनुसार नहीं है)। सभी संबंधित प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरांत रिक्ति एवं मेधाक्रम के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु Counselling के लिए तिथि/समय/स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:-

पद	तिथि	समय	Sl. No.	अभ्यर्थियों की संख्या	स्थान
Block Health Manager (BHM)	16.12.2021 (गुरुवार)	10:00 AM- 01:00 PM	1 - 67	67	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना-14
Block Community Mobilizer (BCM)	16.12.2021 (गुरुवार)	02:00 PM- 05:00 PM	1 - 75	75	
	17.12.2021 (शुक्रवार)	10:00 AM- 01:00 PM	76 - 102	27	
		02:00 PM- 05:00 PM	103 - 183	81	
Block Accountant	17.12.2021 (शुक्रवार)	10:00 AM- 01:00 PM	1 - 48	48	

पहले चरण (Morning) में आनेवाले अभ्यर्थियों का **Registration Time 09:30 AM** एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का **Registration Time 01:30 PM** निर्धारित किया गया है।

3. Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थी, उक्त तिथि तक (प्रकाशित सूची/तिथि के अनुसार) निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति एवं उसका एक-एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करें। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त Documents पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

- दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।
- उक्त परीक्षा का प्रवेश-पत्र (Admit Card)
- फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा-मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि।
- जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।

Rajsh



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



(v)

Essential Qualification

➤ Block Health Manager (BHM)

- MBA (Two years full time) in Hospital Management/Healthcare Management/ Hospital Administration from any recognized University/Institute.

OR

- Post-Graduate Diploma (Two years full time) in Hospital Management/ Healthcare Management from any recognized University/Institute.

➤ Block Community Mobilizer (BCM)

- Master Degree of Social Work (MSW) (Full time) from any recognized Institute/University.

OR

- M.A. in Social Work (Full time) from any recognized Institute/University.

OR

- M.B.A. (Two years full time) with specialization in Rural Development/Rural Management from any recognized University/Institute.

OR

- PG Diploma (Two years full time) with specialization in Rural Development/ Rural Management from any recognized University/Institute.

➤ Block Accountant

- B.Com (Full time) from any recognized Institute/University with any Certificate/Diploma course in Computer Application with Tally (Course duration of minimum six months).

OR

- CA-Inter/ICWA-Inter

- (vi) आरक्षण का लाभ उन्ही उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (vii) अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)।
- (viii) पिछड़ा-वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा-वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता-पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (ix) पिछड़ा-वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा-वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा-पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।
- (x) आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है।
- (xi) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब Document Verification के समय अनुसूचित-जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी/

Signature



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

- (xii) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- (xiii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र।

4. यदि कोई अभ्यर्थी Document Verification में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण-पत्र नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

5. योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, Cut-off date-(01.01.2020) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

6. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति के अधिकृत वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरन्तर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/E-mail के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

नोट:- प्रकाशित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेधाक्रमानुसार नहीं है।

(राजेश कुमार)

उप सचिव-सह-

प्रभारी, मानव संसाधन

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।